न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00339 (40/2012) 223 आरटीएक्ट

जगदीश पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. खीयांराम पुत्र खिराज जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद } पुत्रगण मीरां पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी खरसंडी
3. राजेश } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. गणपतराम } पिसरान खीराजराम जाति जाट निवासी नगरासरी
5. किशनाराम } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. चन्दूराम पुत्र नानूराम } जाति जाट निवासी नगरासरी
7. तीजां देवी पत्नी नानूराम } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. शान्ति देवी पुत्री नानूराम पत्नी रामकुमार जाति जाट (भादू) निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट

10. गिरदावरी पुत्री खीयांराम पत्नी प्रताप पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बाहुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. महावीर पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.12:2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र. सं. 79/2005 बअनवानी जगदीश पुत्र खींयाराम आदि

श्री विजय कौशिक अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री हरिसिंह स्याग अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक – 25.02.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत एक वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 6 की 10

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 9 मीन की 61 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 197 की 13 बीघा 5 बिस्वा कुल तादादी 85 11 बिस्वा भूमि वाके रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर तथा आराजी जरइ खसरा नं. 30 तादादी 22 बीघा 6 बिस्वा वाके रोही मौजा दुरजाना तहसील नोहर की भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि बताते हुए आराजी जरई 9/4 तादादी 4.565 है0 वाके रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर में वादी का 1/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं. 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 2 का 1/3 हिस्सा के मुस्तरका खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा भूमि में प्रतिवादी नं. 1 का कोइ हक व हिस्सा नहीं होने आराजी जरई खसरा नं. 39 तादादी 5.6400 है0 वाके रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर मे वादी 1/8 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं. 3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं. 4 ता 6 तीनों बहिस्सा बराबर हर एक 1/4 के मुश्तरका खातेदार काश्तकार तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 1 का कोई हक व हिस्सा नही होने की घोषणा करने का अनुतोष मांगा तथा हक व हिस्सा के मुताबिक खाता व लगान अलग अलग तकसीम किया जाकर अलग अलग कब्जा दिलाया जाने एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर अर्जीदावा के तथ्यों को इन्कार करते हुए वाद वादी खारिज करने का निवेदन किसा एवं विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 10 व 11 ने दिनांक 08.01.2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया और राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का घोषणा, खाता विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद था जो विचारण न्यायालय अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 के द्वारा खारिज किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 10 व 11 ने दिनांक 08.01.2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया और राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि सं0 1 खियांराम द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान कर देने के कारण अब उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है रेस्पो0 सं0 1 खियांराम ने अपने हक व हिस्सा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रकबा पूर्व में दिनांक 16.08.2004 को 6 बीघा यानि 1.518 है0 भूमि मीरा पत्नी जयलाल को बेचान कर दिया है वह यथावत रखा जाता है तेा पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है । शेष कृषि भूमि ब0हि0ब0 अपीलाण्ट जगदीश व रेस्पो0 महावीर को दिये जाने पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 खियांराम पूर्णतया सहमत है। रेस्पो0 सं0 10 गिरदावरी कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है वह अपना हिस्सा अपने दोनों भाईयों जगदीश व रेस्पो0 सं0 11 महावीर के पक्ष में छोड़ना चाहती है। अतः **अपील अपीलाण्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2011 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी जरई 9/4 तादादी 4.565 है0 वाके रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर में वादी जगदीश पुत्र खींयाराम 1/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं. 3 महावीर पुत्र खींयाराम का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादिया नं0 2 मीरां देवी का 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 1 खींयाराम पुत्र खीराज का कोई हक व हिस्सा नही होगा, जिसका नाम कलमजन किया जाता है। आराजी जरई खसरा नं. 39 तादादी 5.6400 है0 वाके रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर में वादी जगदीश पुत्र खींयाराम 1/8 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं0 3 महावीर पुत्र खींयाराम का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिववादी नं. 4 ता 6 नानूराम, गणपतराम, किशनाराम पिसरान खीराजराम तीनों बहिस्सा बराबर हर एक 1/4 के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 खींयाराम पुत्र खीराजराम का कोई हिस्सा नहीं है जिसका नाम कलमजन किया जाता है। अपीलाण्ट का वाद में खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष है, जिसके लिए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को प्रतिप्रेषित किया जाता है।** उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रामणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:11:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: